



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 मई 2017—वैशाख 15, शक 1939

भाग ४

विषय-सूची

- | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल, 2017

क्र. एफ-11-01-2012-तीस.—रवीन्द्र भवन एवं स्वराज पार्क, भोपाल आरक्षण नियम, 2012 के नियम 6.2.1 में उल्लेख है कि संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले किसी कार्यक्रम के लिये कोई आरक्षण शुल्क देय नहीं होगा. नियम के भाग पांच कंडिका 29 की शक्तियों का उपयोग करते हुए इसे संशोधित कर इस खण्ड में शब्द संस्कृति विभाग के पश्चात् “एवं मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् तथा उनके अंतर्गत कार्यरत अकादमियों और उनके अन्य अनुषंग” को प्रतिस्थापित किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल, 2017

क्र. एफ-01-09-2017-तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग अधीनस्थ (राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय) तृतीय-श्रेणी (लिपिकवर्गीय एवं अलिपिकवर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 1999 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप नियम (1) और (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

- (1) “सेवा में समस्त लिपिकवर्गीय/अलिपिकवर्गीय पदों पर भरती के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, समय-समय पर, अवधारित करें और नियुक्तियां चयनित अभ्यर्थियों की योग्यताक्रम सूची के आधार पर की जाएगी.

- (2) अलिपिकवर्गीय (तकनीकी) तथा शैक्षणिक पदों के लिये सेवा में अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा परीक्षा के माध्यम से और/या साक्षात्कार के पश्चात् किया जाएगा'.

No. F-01-09-2017-XXX.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Culture Department Sub-ordinate (Directorate of Raj Bhasha Evam Sanskriti) Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 1999, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 11 for sub-rule (1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, namely :—

- "(1) A competitive examination for the recruitment on all the ministerial/non-ministerial posts to the service, shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, from time to time, determine and appointment shall be made on the basis of merit list of the selected candidates.
- (2) The selection of candidates to the service for non-ministerial (technical) and academic posts shall be made by the selection committee though examination and/or after interview."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमेरखा ढोले, अवर सचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

क्र. एफ 1-1-2016-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- नियम 2 में, अनुक्रमांक "तिरेपन-जन शिकायत निवारण" का लोप किया जाए.
- अनुसूची में,—
 - शीर्षक "तिरेपन-जन शिकायत निवारण विभाग" तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;
 - शीर्षक "इकसठ-लोक सेवा प्रबंधन विभाग" के अधीन,—
 - भाग (अ) में, अनुक्रमांक 5 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"त्वरित गति से निराकरण करने की दृष्टि से निम्नलिखित मामलों का समन्वयन तथा अनुश्रवण (मॉनीटरिंग):—
- मुख्यमंत्री तथा मंत्रीगण को भोपाल में तथा दौरों पर प्राप्त होने वाले शिकायती-पत्र, अभ्यावेदनों और आवेदन-पत्रों का (जो उनके विभाग से सीधे संबंधित न हों) रजिस्ट्रीकरण और अनुसरण की जाने वाली कार्रवाई सुनिश्चित करना.
- संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुख्यमंत्री सचिवालय में प्राप्त पत्र एवं संदर्भ.
- कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के शोषण और उन पर अत्याचार संबंधी शिकायतें.

9. भूमि विवाद संबंधी अभ्यावेदन, शिकायतें.
10. भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें.
11. पेंशन और वेतन भुगतान में विलम्ब संबंधी मामले.
12. दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों के अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी मामले.
13. प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त होने वाली याचिकाएं आदि.

टीप.—संबंधित प्रशासकीय विभाग, प्राप्त होने वाले शिकायत-पत्रों, अभ्यावेदनों और आवेदन-पत्रों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिये तथा उनका शीघ्रता से निपटारा करने के लिये उत्तरदायी होंगे.''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्र. एफ-1-01-2016-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-1-01-2016-एक-(1) दिनांक 28 अप्रैल, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

Bhopal, the 28th April, 2017

F-1-01-2016-One (1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 2, serial number "LIII-PUBLIC GRIEVANCES REDRESSAL" shall be omitted;
2. In the schedule,—
 - (a) The heading "LIII-Public Grievances Redressal Department" and entries relating thereto shall be omitted;
 - (b) Under the heading "LXI-PUBLIC SERVICE MANAGEMENT DEPARTMENT", in part (a), after serial number 5, the following entries shall be inserted, namely :—

"Coordination and monitoring of the following matters in order to facilitate speedy disposal :—

6. To ensure registration and follow up action of the complaints, representations and applications received by the Chief Minister and Ministers at Bhopal and on tours (which are not directly related to their departments).
7. References and letters of the Members of Parliaments, Members of Legislative Assembly and other important persons received in the Chief Minister's Secretariat.
8. Complaints regarding exploitation of the atrocities on the persons belonging to the Weaker Sections.
9. Complaints, representation regarding land disputes.

10. Complaints regarding corruptions.
11. Cases relating to delay in payment of pensions and salaries.
12. Cases pertaining to the appointments on compassionate grounds to the dependents of the deceased Government Servants.
13. Petitions etc. received from Prime Minister's Office.

Note.—The concerned administrative department shall be responsible for taking necessary action on the complaints, representations and applications received and for speedy disposal.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIYA, Addl. Secy.